



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
13 ⁹⁸ / ₁₉	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता श्री विक्रम पाड़ेया, पिता- स्व० जोकलो सोंगा पाड़ेया, निवासी ग्राम- सिकुरसाई, थाना- मुफसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०- 125 के अन्दर खाता नं०- 57, प्लॉट नं०- 668, रकवा- 0.12½ एकड़ भूमि क्रेता श्री जुम्बल बिरुली, पिता- स्व० कान्डे बिरुली, निवासी ग्राम- बरकुण्डिया, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत का एक मात्र पुत्र है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 343, दिनांक- 07.05.19 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री जुम्बल बिरुली, पिता- स्व० कान्डे बिरुली, निवासी ग्राम- बरकुण्डिया, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास 4,70,000.00/- (चार लाख सत्तर हजार रुपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.40 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति प्रयाप्त है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता श्री विक्रम पाड़ेया, पिता- स्व० जोकलो सोंगा पाड़ेया, निवासी ग्राम- सिकुरसाई, थाना- मुफसिल, क्रेता श्री जुम्बल बिरुली, पिता- स्व० कान्डे बिरुली, निवासी ग्राम- बरकुण्डिया, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 4,70,000.00/- (चार लाख सत्तर हजार रुपये) में मौजा- तमाड़बाँध, थाना नं०- 125 के अन्दर खाता नं०- 57, प्लॉट नं०- 668, रकवा- 0.12½ एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की दी जाती है।</p> <p>लेखापित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	